डॉ0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पात्रता/ Guidelines

आर्थिक रूप से पिछडे वर्गो (EBC) के विद्यार्थियों के लिए दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति निम्न मानकों के आधार पर प्रदान की जाती है :–

- आवेदक उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो तथा राज्य में संचालित केवल शासकीय विद्यालय में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
- आवेदक छात्र/छात्रा ने विगत वर्ष की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया हो।
- आवेदक छात्र/छात्रा एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक से ज्यादा विद्यालयों में अध्ययनरत न हो।
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के सामान्य जाति के छात्र–छात्राओं के अभिभावको की वार्षिक आय रू0 1.00 लाख निर्धारित है। आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।
- डॉ0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति commercial pilot licence (CPL) कोर्स तथा किसी भी अन्य विमानन लिंक पाठ्यक्रम (Aviation linked Couse) में नहीं देय है।
- आवेदक को एक कक्षा हेतु मात्र एक ही बार छात्रवृत्ति का लाभ दिया जायेगा। यदि छात्र किसी अन्य विषय से पुनः उसी कक्षा में प्रेवश लेता है तो छात्र को इस योजना से लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा।
- डॉ0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार निर्धारित हैं।
- ग्रुप ए के कोर्सो हेतु हास्टलर के अन्तर्गत रू0 750 तथा डे स्कालर हेतु रू0 350 निर्धारित है एवं दृष्टिहीन छात्रों हेतु रू0 175 प्रतिमाह रीडर भत्ता के रूप में दिया जाता है।
- ग्रुप बी के कोर्सो हेतु हास्टलर के अन्तर्गत रू0 510 तथा डे स्कालर हेतु रू0 335 निर्धारित है एवं दृष्टिहीन छात्रों हेतु रू0 175 प्रतिमाह रीडर भत्ता के रूप में दिया जाता है।

- ग्रुप सी के कोर्सो हेतु हास्टलर के अन्तर्गत रू0 400 तथा डे स्कालर हेतु रू0 210 निर्धारित है एवं दृष्टिहीन छात्रों हेतु रू0 130 प्रतिमाह रीडर भत्ता के रूप में दिया जाता है।
- ग्रुप डी के कोर्सो हेतु हास्टलर के अन्तर्गत रू0 260 तथा डे स्कालर हेतु रू0 160 निर्धारित है एवं दृष्टिहीन छात्रों हेतु रू0 90 प्रतिमाह रीडर भत्ता के रूप में दिया जाता है।

डॉ0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले छात्रों द्वारा पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न

प्र0 क्या भारतीय विश्व विद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों में नामांकित सभी छात्र–छात्राओं के लिए यह योजना उपलब्ध है?

उ0 यह योजना भारतीय विश्व विद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों में नामांकित सामान्य जाति तथा उत्तराखण्ड राज्य के मूल स्थायी निवासी छात्र–छात्राओं के लिए उपलब्ध है।

प्र0 ऑनलाईन आवेदन करने के लिए मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की कोई आवश्यकता है?

उ0 हाँ उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि को ऑनलाईन आवेदन फार्म के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

प्र0 ऑनलाईन आवेदन करने के लिए आधार कार्ड नम्बर की कोई आवश्यकता हैं?

उ0 हाँ छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आधार नम्बर को ऑनलाईन आवेदन फार्म मं अंकित करना आवश्यक होगा।